

2017/00044

24

नरेश / रामकुमार

7-7-17 आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत ऑल्लोक्प
 डेम्प सेट, ज्ञाप पन्नागत दोनारी पट चेम्प हुई ;
 पहकार नरेश, प्रताप, गोकुलारिठ उपर। पटवारी
 हल्डा दोनारी को विभाजन प्रस्ताव वावर गणकारी
 ली गई। पटवारी हल्डा ने अवगत कराया कि
 वारी नरेश द्वारा पूर्व में भी एक राजस्व बाट वावर
 कटवाया गेहलु र किया था उक्त बाट का उचवाज
 नरेश बनाम रेशो जो इली विवाहित आयागी
 से आवेचित था जिले के वावर पूर्व में विभाजन
 प्रस्ताव जेवार कर भिजवाये जा चुके हैं जिले पर
 वारी द्वारा अवगत कराया कि पूर्व के दावा में
 पूर्व में हुये विषय से न्यमानप शीमान था
 प्रवन्ध माथि करी पटने राजस्व आयीक प्राप्तिकर
 भयत हुए डेम्प ऑल्लोक्प के गलत शीमान विवाधीन
 है। उपरोक्त विवेचना अनुसार स्पष्ट है कि वारी
 द्वारा प्रमाण शक्ति व प्रमाण पहकारों के मह्य पूर्व

गोकुलारिठ

पटवारी
गोकुलारिठ

नरेश

ज्ञाप


गोकुलारिठ

अरु उर्फ
रिजि
१
रेश

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुये

में समान अनुलोष का बाद प्रस्तुत किया
था जो वर्तमान में भी इसके बादी द्वारा
अपीलीय न्यायालय में विचार्य पत्र
होना आवगत हुआ है। इसलिये इस
दावा को लम्बित रखे जाने एवं कोर्ट
मिथिष पारित किया जाना न्याय हंगर
प्रतीत नहीं होता है। अतः दावा खारिज
किया जाता है। पत्रावली के ललभुमाद
होकर दावेक दफ्तार हो


उपखण्ड अधिकारी सैंपड
(पीएसआन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत